छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
——00——

सूचना का अधिकार

नवा रायपुर, दिनांक 12 मार्च, 2024

क्रमांक / 416 / जी—668 / 2011 / 1—13

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर—19,
अटल नगर, छत्तीसगढ़ ।

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रियायती दर पर मुख्यमंत्री खाद्यान्न प्रदाय किये जाने वाले राशन कार्ड पर निःशुल्क सूचना दिये जाने बाबत्।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 580 / स्था / छगरासूआ / 24 दिनांक 22.02.2024.

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि पूर्व में विभाग द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गरीबी रेखा के नीचे परिवारों का निर्धारण के संबंध में अभिमत चाहा गया था। **जिस पर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2347 / 2742 / 18 / 2014 दिनांक 11.04.2014 द्वारा अभिमत दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों के नगरीय निकायों द्वारा गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों का सर्वेक्षण कार्य प्रथमतः वर्ष 1997—98 एवं उसके बाद वर्ष 2007—08 में कराया गया है। अतः शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2007—08 में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर जारी प्रमाणित सूची को आधार माना जाना योग्य है।**

2/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की अधिसूचना दिनांक 23.01.2017 की कंडिका 06 में **राशनकार्ड की उपयोगिता :— राशनकार्ड का उपयोग, उपभोक्ता दरो पात्रता तथा राशन सामग्रियों की मात्रा के अलावा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। कृपया उक्त के संबंध में अवगत होना चाहेंगे।**

संलग्न :— उपरोक्तानुसार ।

(मेरी खेस्स)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

525